न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या :— 11/2018

नागरमल सैनी उम्र 61 वर्ष पुत्र पन्नाराम सैनी, जाति माली, निवासी ग्राम बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

—निगरानीकार

—बनाम—

1.ग्राम पंचायत बड़ागांव जरिये प्रतिनिधि सरपंच ग्राम बड़ागांव, पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2.महेन्द्र सैनी उम्र 50 वर्ष पुत्र जमनाराम, जाति माली, निवासी ग्राम बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

— गैर निगरानीकार

निगरानी अं0धारा 97 राज0 पंचायत राज अधि01994
विरूद्ध आदेश दिनांक 23.10.2018 ग्राम पंचायत बड़ागांव,
पंचायत समिति उदयपुरवाटी।

उपस्थितिः—

1. श्री संदीप सैनी, एडवोकेट —— —— निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री मुकेश कुमार, एडवोकेट———— गैर निगरानीकार ग्राम पंचायत की ओर से।
3. श्री संजय सैनी, एडवोकेट ——————गैर निगरानीकार नंबर—2 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 29.07.2019

उक्त उनवानी निगरानी अं0धारा 97 राज0 पंचायत राज अधि0 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.10.2018 ग्राम पंचायत बड़ागांव,पंचायत समिति उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि — वादग्रस्त पट्टा संख्या 79 दिनांक 20.09.2000 जो बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, पूर्व सरपंच व पट्टाधारी दोनों ने निजी स्वार्थों के चलते बना लिया । उक्त पट्टे के कारण ग्राम पंचायत बड़ागांव के विकास कार्य रास्ता बंद किये जाने से

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

अवरूद्ध किया गया है। पट्टाधारी ने सड़क निर्माण कार्य के दौरान न्यायालय सिविल न्यायाधीश व0 ख0 उदयपुरवाटी में उनवानी दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा महेन्द्र सेनी बनाम नागर वगैरह प्रकरण संख्या 35/15 में दायर किया था जो दिनंक 16.2.2018 को न्यायालय सिविल क0 ख0 उदयपुरवाटी द्वारा खारीज कर दिया गया। पट्टाधारी महेन्द्र सैनी द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध एक अपील न्यायालय जिला न्यायाधीश झुंझुनू के यहां अपील संख्या 10/18 महेन्द्र बनाम नागरमल वगैरह दायर की जिसे भी दिनांक 08.5.2018 को खारिज कर दिया। वर्तमान में आम रास्ते पर सड़क निर्माण किया जा चुका है। आवेदक नागरमल द्वारा दिनांक 10.10.2018 को वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत बड़ागांव के समक्ष पटटा संख्या 79 दिनांक 20.09.2000 को पटटा निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और बिना विधिक प्रकिया के जारी किये गये पट्टे संख्या 79 दिनांक 20.09.2000 के पट्टाधारी महेन्द्र सैनी के विरूद्ध गलत रूप से पट्टा जारी करवाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने की इस्तदुआ करते हुये एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 23.10.2016 को प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुये ग्राम पंचायत बड़ागांव ने आवेदक को सूचित किया कि– ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 20.9.2000 में पट्टा संख्या 79 दिनांक 20.9.2000 का कोई अंकन नहीं पाया गया। ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे की मिसल कार्यवाही उपलब्ध नहीं है। पट्टाधारी ने पट्टा संख्या 79 दिनांक 20.9.2000 अपने हक में आबादी भूमि दर्ज कर जारी करवाया है जिसका ग्राम पंचायत बड़ागांव में कोई रिकार्ड नहीं है। उक्त जमीन आम रास्ता था जिस पर सड़क निर्माण किया जा चुका है। पटटा संख्या 79 दिनांक 20.09.2000 का वर्तमान में पटटे में दर्ज भूखण्ड माप संख्या 225 वर्गगज की जमीन मौके पर नहीं है। पटटाधारी ने पट्टा संख्या 79 दिनांक 20.9.2000 आबादी के आधार पर जारी किया जाना दर्ज किया है, जो पट्टे में वर्णित है, जब कि पट्टाधारी स्वयं ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त जमीन काश्त की जमीन है, जिसे अवाप्त भी नहीं करवाया गया है। पट्टाधारी ने तथ्यों को छीपाकर मात्र निजी स्वार्थो की पूर्ति हेतु सरपंच से मिलीभगत कर बाला–बाला अपने हक में पट्टा जारी करवा लिया जो निरस्त होने योग्य है। उक्त पट्टे के लिए कोई भी विधिक प्रकिया नहीं अपनायी गई, इसलिए उक्त पट्टा कानूनी रूप से अवैध है। उक्त पट्टे के संबंध में ना तो आवेदन किया गया और ना ही पट्टे के बाबत कोई विधिक प्रकिया अपनायी गई, ना ही मौका रिपोर्ट ली गई और ना ही पब्लिक नोटिस जारी कर

अति. जिला कलक्टर
झुन्झुनू

आपत्ति गई, इसलिए बिना विधिक प्रक्रिया के जारी किया गया उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी की धारा 11 (क) (ख) के तहत आदेश प्रदान किया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि उक्त पट्टे के लिए कोई भी विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गई, इसलिए उक्त पट्टा कानूनी रूप से अवैध है। उक्त पट्टे के संबंध में ना तो आवेदन किया गया और ना ही पट्टे के बाबत कोई विधिक प्रक्रिया अपनायी गई, ना ही मौका रिपोर्ट ली गई और ना ही पब्लिक नोटिस जारी कर आपत्ति नहीं गई, इसलिए बिना विधिक प्रक्रिया के जारी किया गया उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 79 दिनांक 20.9.2000 ग्राम पंचायत बड़ागांव निरस्त किया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत बड़ागांव के तत्कालीन समय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया । पट्टा संख्या 79 दिनांक 20.09.2000 का ग्राम पंचायत बड़ागांव के रिकार्ड बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.09.2000 एवं इससे पूर्व की बैठक कार्यवाहियों में श्री महेन्द्र सैनी को उक्त पट्टा दिये जाने के संबंध में कोई अंकन नहीं पाया गया । सचिव ग्राम पंचायत बड़ागांव ने भी उक्त पटटा संख्या 79 जो श्री महेनद्र सैनी पुत्र जमनाराम सैनी बड़ागांव के नाम से जारी किया गया है, के संबंध में किसी प्रकार का रिकार्ड नहीं होना जाहिर किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पट्टा संख्या 79 दिनांक 20.09.2000 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है। तथाकथित पट्टे पर सरपंच ग्राम पंचायत बड़ागांव के हस्ताक्षर हैं और सरपंच द्वारा उसे पंजीकृत भी करवाया गया है। लेकिन ग्राम पंचायत बड़ागांव के रिकार्ड में उक्त पट्टे के संबंध में कोई अंकन नहीं होने से स्पष्ट है कि पट्टा संख्या 79 दिनांक 20.09.2000 ग्राम पंचायत बड़ागांव द्वारा जारी नहीं किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पट्टे जारी करने के अधिकार ग्राम पंचायत

को दिये गये हैं ना कि सरपंच को। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता ग्राम पंचायत ने बताया कि मौके पर रास्ता होने के कारण वहां पक्की सड़क का निर्माण किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त पट्टा संख्या 79 दिनांक 20.09.2000 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 194 के विधिक प्रावधानों के विपरित जारी होने से एवं इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाती है। सरपंच ग्राम पंचायत बड़ागांव पंचायत समिति उदयपुरवाटी द्वारा श्री महेनद्र सैनी पुत्र जमनाराम सैनी बड़ागांव के नाम से जारी किया गया पटटा संख्या 79 दिनांक 20.09.2000, निरस्त किया जाता है। मिसल ग्राम पंचायत बड़ागांव आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू